## न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारीः— बिन्दुबाला राजावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्याः— 83/2025 (वाद)
दायर दिनाकः— 01/07/2025
निर्णय दिनांकः— 30/03/2026

::अनवानः:

1— मधुबाला देवी पत्नि बालकिशन जाति रेगर निवासी धनेरियागढ तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

वादीया

बनाम

1— कंचनदेवी पत्नि हीरालाल रेगर जाति रेगर निवासी धनेरियागढ तहसील रेलमगरा
2— राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

### वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 136, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी अधिवक्ता— लादुलाल जाट
प्रतिवादी अधिवक्ता— अनुपस्थित

### —: निर्णयः—

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,136, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत किया है कि मौजा ग्राम धनेरिया पटवार हल्का धनेरिया तहसील रेलमगरा के आराजी संख्या 2443 रकबा 0.5666 कृषि आराजीयात स्थित है यह कि वादपत्र कि कॉलम संख्या 01 मे वर्णित खसरा संख्या 2443 क्षेत्रफल 0.5666 हैक्टर स्थित है वादीया ने दिनांक 03.02.2004 को जरिये पंजिकृत विकय पत्र से कय की तब से वादीया का वादग्रस्त खसरा पर कब्जा निरन्तर निर्विध्न चला आ रहा है जिसमें वादीया का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। यह कि वादीया के द्वारा अपने पजिकृत विकयपत्र को पटवारी हल्का को नामान्तकरण हेतु पेश किया वादीया के पति का नाम बालकिशन था एंव पंजिकृत विकय पत्र में भी बालकिशन ही दर्ज था लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तकरण में वादीया के पति का नाम बालकिशन की जगह केवल किशनलाल दर्ज कर दिया गया जबकी पटवारी हल्का को पजिकृत विकयपत्र के आधार पर ही नामान्तकरण में पति का नाम दर्ज करना चाहीए था पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 1487 दिनांक 20.05.2004 को ग्राम पचायत में प्रस्तुत किया व दिनांक 05.08.2004 को निर्णित किया जिसमें वादीया के पति का नाम किशनलाल दर्ज किया जिसका पटवारी हल्का को काई अधिकार नही था। यह कि वादीया वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है वादीया

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

ने दिनांक 15.04.2025 को जमाबन्दी निकलवाई तब उक्त अकंन की जानकारी हुई वादीया को जानकारी होते ही पटवारी हल्का को उक्त गलत अकंन बाबत् कहा तो पटवारी हल्का ने अंकन सही करने से मना कर दिया व कहा की आप न्यायालय से वादपत्र प्रस्तुत करे तब से वादीया का वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि वादीया की ओर से उक्त वादपत्र घोषणा एंव ईन्द्राज दुरुस्ती का होने से वाद विधि द्वारा किसी प्रकार से समयावधि से बाधित नही है एवं विशेष रूप से जहां प्रतिवादीगण ने अपने नाम पर गलत अंकित हो वहा अन्य विधि में भी वाद बाधित नही है। यह कि प्रतिवादी संख्या 02 राज्य सरकार भूमिधारक होने से एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से उनको पक्षकार बनाया गया है अन्यथा राज्य सरकार के विरूद्ध कोई सहायता नही चाही गई है एंव प्रतिवादी संख्या 01 सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादीया का वाद हेतु दिनांक 15/04/2025 को वादीया को उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन का पता चला तब से वादीया का वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार के भूमिधारी होने से उनको पक्षकार बनाया गया है एवं मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिये बगैर ही उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके अनुमति बाबत् धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। यह कि वादग्रस्त भूमिया ग्राम धनेरिया पटवार हल्का धनेरिया तहसील क्षैत्र रेलमगरा में स्थित होने से वाद पत्र का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको है।

अतः प्रार्थना है कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त खसरा/राजस्व अभिलेख में वादीया के पति का नाम किशनलाल की जगह बालकिशन घोषित फरमाया जाकर घोषणात्मक एंव ईन्द्राज दुरुस्ती डिकी वादीया के पक्ष में फरमाई जावे तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावे। यह कि अन्य समुचित सहायता जो वादीगण प्राप्त करने का अधिकारिणी हो प्रदान कराई जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 02 भुमिधारक होने से पक्षकार बनाया गया है। अन्यथा उनके विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है।

वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन वक्त साक्ष्य PW-1 मधुबाला पत्नि बालकिशन जाति रेगर के शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा इसके अतिरिक्त और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की नकल प्रदर्श – 01 व 02 एवं नामान्तकरण की नकल प्रस्तुत कि गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध के अनुसार वादी का वाद विक्रय पत्र अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, R.T.A.का स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम धनेरिया, पटवार हल्का धनेरिया, की वर्तमान आराजी संख्या 2443 रकबा 0.5666 हेक्टेयर भूमि में वादीया के पति का नाम किशनलाल की जगह बालकिशन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

**संख्यांक नं0 1**

**मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)**

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

**पीठासीन अधिकारी :–** बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

**राजस्व वाद संख्या :–** 83 / 2025

## अनवान

**वादीपक्ष :–**

1. मधुबाला देवी पत्नि बालकिशन जाति रेगर निवासी धनेरियागढ तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

## बनाम

**प्रतिवादी पक्षः–**

1. कंचनदेवी पत्नि हीरालाल रेगर जाति रेगर निवासी धनेरियागढ तहसील रेलमगरा
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 136, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

वादी अधिवक्ता– लादुलाल जाट

प्रतिवादी अधिवक्ता– पैरोकार सरकार

**मे इस आशय में दिनांक 30.03.2026 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि** वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88,136 का स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मौजा ग्राम धनेरिया, पटवार हल्का धनेरिया, की वर्तमान् आराजी संख्या 2443 रकबा 0.5666 हेक्टेयर भूमि में वादीया के पति का नाम किशनलाल की जगह बालकिशन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। हैं।

आज दिनांक को 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा